न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 30/19 दायर दिनांक 22.02.2019

1. नाहर सिंह पुत्र श्री जगर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न0 27 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार सूरतगढ।
2. रामप्रताप खारवाल पुत्र भागूराम जाति रेगर निवासी वार्ड न0 37 नया एस.के. मॉडल स्कूल के पास सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 आरटीए

उपस्थित :—

(1) श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी अभिभाषक, प्रार्थी
(2) श्री अशोक छाबड़ा अभिभाषक, अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

निर्णय दिनांक 25/02/2020

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत प्रार्थी नाहर सिंह ने रास्ता स्वीकृति हे प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारों रिकार्डड भूमि कस्बा सूरतगढ की रोही ख0न0 227/4 में 1.693 है0 ख0न0 282/4 की 0.778 है0 ख0न0 285/3 में 0.052 है0 है। जिसमे जाने हेतू कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। वर्तमान में वह ख0न0 289 की भूमि जो कि आराजीराज है मे से होकर आना जाना करता है जिसे वह रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वास्तुस्थिति की जांच व रिपोर्ट हेतू मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ का प्रेषित किया गया बाद जांच व रिपोर्ट मूल प्रार्थना पत्र वापिस आने पर दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई व बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई, दौराने कार्यवाही अप्रार्थी सं. 2 रामप्रताप ने पक्षकार बनने हेतू निवेदन किया कि वह एक हितबद्ध पक्षकार है जिसे सुना जावे। दिनांक 24.12.2019 को उसे पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया तथा दिनांक 20.01.2020 को उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उसी दिन अप्रार्थी सं 2 ने मौका निरीक्षण हेतू भी निवेदन किया तथा वस्तुस्थिति व मौका सपष्ट हो सके। दिनांक 19.02.2020 को पटवारी गिरदावर हल्का के साथ मौका का निरीक्षण किया।

उभय पक्षों की बहस व राजस्व रिकार्ड का गहनता से मनन करने के पश्चात यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि नाहर सिंह ख0न0 282/4 खातेदारी रकबा मे किशनपुरा आबादी सड़क सें ख0न0 289 में साढे सोलह फुट चौड़ा व 1815 फुट लम्बा रास्ता आराजी राज भूमि में स्वीकृत किया जाता है ते उसे रास्ता सुलभ हो सकेगा तथा अप्रार्थी सं. 2 रामप्रताप भी प्रभावित नहीं होगा, क्योकि उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 289/555 में रास्ता दिया ही नहीं जा रहा है व रास्ता स्वीकृत ना होने से हो रही परेशानी से भविष्य मे प्रार्थी निजात पा सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है व कस्बा सूरतगढ की रोही ख0न0 282/4 की 0.778 है0 खातेदारी रकबे मे आने जाने हेतू किशनपुरा किशनपुरा आबादी रोड़ सें ख0न0 289 मे से साढे सोलह फुट चौड़ा व 1815 फुट लम्बा रास्ता आराजी राज मे से स्वीकृत किया जाता है, रास्ता मे आने वाली सरकारी भूमि की कीमत डीएलसी रेट का चार गुणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ खजानाराज मे जमा करवा देने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत का अमलदरामद करे। प्रार्थी नाहर सिंह को स्वीकृत रास्ता की कीमत 15 दिवस मे जमा कराने हेतू पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया है, पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.28 11:34:33 IST
Reason: SelfAttested